

प्रारूप क

लोक सभा के सदस्यों के लिए सदस्य आवास का आवेदन करने हेतु आवेदन पत्र

1. सदस्य का नाम
(स्पष्ट अक्षरों में)
2. संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
(स्पष्ट अक्षरों में)
3. राज्य

4. क्या सदस्य रह चुका हैं

कब से कब तक कुल
वर्ष/महीना वर्ष/महीना अवधि

(एक) केंद्र में कैबिनेट मंत्री	हां	नहीं	राज्य					
(दो) केंद्र में राज्य मंत्री	हां	नहीं						
(तीन) केंद्र में उपमंत्री/संसदीय सचिव	हां	नहीं						
(चार) मुख्यमंत्री	हां	नहीं						
(पांच) राज्यपाल	हां	नहीं						
(छह) अध्यक्ष, लोक सभा	हां	नहीं						
(सात) उपाध्यक्ष, लोक सभा	हां	नहीं						
(आठ) स्पीकर, राज्य विधानसभा	हां	नहीं						
(नौ) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश/मुख्य न्यायाधीश	हां	नहीं						
(दस) राजदूत (पदस्थिति)	हां	नहीं						
(ग्यारह) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश	हां	नहीं						
(बारह) संसद/राज्य विधानसभा के मान्यताप्राप्त प्रतिपक्ष के नेता	हां	नहीं						
(तेरह) राज्य में कैबिनेट मंत्री	हां	नहीं						
(चौदह) राज्य में राज्य मंत्री	हां	नहीं						
(पंद्रह) राज्य में उपमंत्री/संसदीय सचिव	हां	नहीं						

कृ.पृ.उ.

5. सदस्य लोक सभा/राज्य सभा कुल अवधि

6. (एक) पिछली लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आवास, यदि कोई लिया गया था, का ब्यौरा क्या है:

(दो) क्या अधियोग के अधीन आवास को अभ्यर्पित कर दिया गया था अथवा वह आवास अभी सदस्य के पास है

(तीन) खाली करने की संभावित तिथि

7. वरीयता क्रम अर्थात् जहां
लोक सभा पूल से आवास चाहिए
(पात्रता/उपलब्धता के अध्यक्षीन)

प्रथम वरीयता

द्वितीय वरीयता

तृतीय वरीयता

8. क्या सदस्य अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम संसद भवन की छह मील की परिधि में कोई आवास है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

9. सदस्य से प्रमाणपत्र: -

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि:-

(एक) मैंने संसद सदस्यों को लोक सभा पूल के अंतर्गत आबंटित किए जाने वाले आवास से संबंधित नियमों को पढ़ लिया है और मैं इनका पालन करूंगा/करूंगी ।

(दो) मेरे तथा परिवार के सदस्यों के लिए आवेदित आवास की आवश्यकता है ।

(तीन) मैं आवास समिति के अध्यक्ष की लिखित अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति, चाहे वह संसद सदस्य हो या कोई अन्य व्यापत्ति हो, को आवास किराए पर नहीं दूंगा/दूंगी या उसके साथ आवास का बंटवारा नहीं करूंगा/करूंगी ।

(चार) मैं विश्वास दिलाता हूं कि आवास समिति द्वारा नियमित आधार पर आवास आबंटित किए जाने के पश्चात् मैं तत्काल आवंटित अस्थायी आवास खाली कर दूंगा।

दिनांक:

(सदस्य के हस्ताक्षर)

पहचान पत्र संख्या

प्रति

अपर सचिव,
लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

टिप्पणी (एक) सदस्य द्वारा दी गई वरीयता के आधार पर आवास समिति द्वारा आबंटित आवास तब तक बदला नहीं जाएगा, जब तक की सभी सदस्यों को नियमित आवास आबंटित नहीं किया जाता।

(दो) लोक सभा पूल में आवास के ब्यौरे के लिए कृपया आवास परिपत्र का अवलोकन करें ।